

तारीख
हुक्म

33
21

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

संशोधन पत्र सी. नवली

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

07/22

पगावली आप पत्र है, जमाना ही ठीक है
लाहित अवधि के कालांतरमा पत्र किया,
पगावली वास्ते बहस 1-2. दिनांक 10/01/22 को फिर
की है

10/22

आदेशानुसार जमाना काल के अंतर्गत ही जमाना देना अहक
ब्यापकता पूर्वक अनुसार दिनांक 14/03/22 को पत्र है।

14/22

पगावली आप पत्र है, पगावली में जमाना -
212 R.T. अध की वास्तविक बहस सुनी गई,
पगावली वास्ते डाइरेक्ट 22/03/22 को फिर है
की है

22/22

पगावली आप पत्र है, जस्ट हाइकोर्ट पत्रों
को उभय पत्र कि आभिभाषणों की बहस बाबत
जमाना 212 R.T. अध सुनी गई। जमाना न
यह जमाना पत्र ~~अभ्युप~~ अहकाम खाता
212 R.T. अध व जमाना जमाना पत्र 212
R.T. अध का अवलोकन करने व एडवोकेट
हस्तावेज आदि का अवलोकन करने पर -
न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि
जमाना का जमाना पत्र स्वीकार फरमाया
जाता है सिद्ध निर्णय छपकते लिखाया जाय
शाहित पगावली किया गया निर्णय आप
में ही बात लिखाया जाय उले न्यायालय में
हुनाया गया। पगावली केंद्रल सुप्रा ही है
मंलग्न श्रुत कर रहे है

महापत्र उल्लेख
नगर

